

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज०)

पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 31/2025

बउनवान

राज्य सरकार जय संदीप झांकल, प्रवर्तन अधिकारी, (छबड़ा)

बनाम

श्री पप्पूलाल पुत्र प्रभूलाल निवासी श्रीपुरा छबड़ा



( प्रार्थी )

( अप्रार्थी )

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत

उपस्थिति :- 1. परोकार रसद

(प्रार्थी )

निर्णय दिनांक 01.09.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.03.2025 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढ़ते व्यावसायिक दुरुपयोग की शिकायत के क्रम में प्रार्थी छबड़ा न्यायालय के सामने स्थित बेनाम चाय स्टाल पर पहुंचे। मौके पर श्री पप्पूलाल पुत्र श्री प्रभूलाल निवासी श्रीपुरा छबड़ा उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग किया जाना पाया गया। इसलिये द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन पाये जाने पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स निधि एचपी गैस एजेन्सी छबड़ा की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया।

इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ने गैस सिलेण्डर भरवाकर घरेलू उपयोग बाबत घर ले जाने हेतु रखा था किन्तु चाय की थड़ी पर अचानक गैस खत्म हो जाने से भूलवश घरेलू सिलेण्डर को लगा लिया था जिसे जब्त कर लिया गया। अतः प्रार्थी का प्रथम अपराध क्षमा करने की कृपा करें। दौराने कार्यवाही अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर एकपक्षीय बहस प्रार्थी की सुनी गई।

हमने बहस एकपक्षीय परोकार रसद की सुनी।

दौराने बहस परोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा 1 गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फ



जिला कलक्टर  
बारां (राज०)

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में स्वयं दुकान पर सिलेण्डर खत्म हो जाने से घरेलू सिलेण्डर लगाना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते हैं कि जप्तशुदा HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर (1) 172666, का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्वोरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/- रुपये यानि 1 गैस सिलेण्डर की कुल 2500/- रुपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नहीं लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक रुबरू मैसर्स निधि एचपी गैस एजेन्सी छबड़ा को कीमत पर दिया जाकर उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



*Rohit*  
( रोहिताश्व सिंह तोमर )  
जिला कलेक्टर  
बारां (राज०)